हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

गंगा सभा हरिद्वार ने 11 लाख रुपए सीएम राहत कोष में दिए

संवाददाता देहरादून। कोविड–19 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदीप झा अध्यक्ष गंगा सभा हरिद्वार ने 11 लाख रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दी है। सुभाष वर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत हरिद्वार ने 10 लाख रुपए की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिया है। डॉक्टर एस फारूक हिमालयन ड्रग्स, 2, टर्नर रोड, क्लेमेंट टाउन, दून ने भी 10 लाख रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दी है।

विधायक धामी के पिता को सीएम ने दी श्रद्धान्जलि

संवाददाता रूद्रपुर। खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी के पिता समाजसेवी, पूर्व सूबेदार शेर सिंह धामी का लम्बी बीमारी से निधन होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज मा0 विधायक पुष्कर सिंह धामी के निवास स्थान ग्राम नगरा तराई खटीमा पहुंचकर शोक संतृप्त परिवार को सांन्तवना दी तथा स्व. शेर सिंह धामी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धान्जलि दी साथ ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक डा. प्रेम सिंह राणा, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव अरोरा सहित आयुक्त/जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल, अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, एसएसपी बरिन्दरजीत सिंह, उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने भी स्व, शेर सिंह धामी के चित्र पर पुष्प अर्पित किये।

कोरोना वायरस के प्रति रेडक्रास जनता को कर रहे है जागरूक

संवाददाता देहरादून। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देहरादून एवं आशा नर्स के द्वारा देहरादून के विभिन क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कोरोना वायरस कोविद 19 के प्रति आम जनता को जागरूक किया जा रहा है सामाजिक दूरी , मॉस्क ,दैनिक उपयोगी वस्तु सैनिटाइजर जरूरतमंद लोगो को दी जा रही है और स्क्रीनिंग क लिए रेड क्रास वालंटियर एवं आशा तथा नर्स घर घर जाकर स्क्रीनिंग एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी एकत्रित की जा रही।

विस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने एक दिन का दिया वेतन

संवाददाता देहरादून। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य की सर्वोच्च संस्था उत्तराखंड विधानसभा भी शामिल हो गई है। इस अवसर पर संकट की इस घड़ी में आर्थिक सहायता के तौर पर विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया गया है।

इस अवसर पर उत्तराखंड विस अध्यक्ष सभी कार्मिकों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है।

बिजली, पानी व टेलीफोन के बिल माफ करने के मामले में राज्य व केन्द्र से मांगा जवाब

संवाददाता देहरादून। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन की अवधि के बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल के माफ करने तथा कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट मुहैया कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में राज्य व केंद्र सरकार को शनिवार 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता राजेन्द्र आर्य की जनहित याचिका पर विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी, स्टैंडिंग काउंसिल अनिल बिष्ट व योगेश पांडेय जबकि केंद्र सरकार के अधिवक्ता संजय भट्ट सुनवाई में शामिल हुए। याचिकाकर्ता के अनुसार लॉकडाउन की वजह से समाज के बड़े तबके की आमदनी पूरी तरह बंद है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि बिलों को माफ किया जाए।

बता दें लॉकडाउन के कारण सबकुछ ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आर्थिक रूप में खड़ी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले और डेली वेजेज आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने बिलों का भुगतान करने की बड़ी समस्या है। उक्त मामले में हाई कोई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

देहरादून रेड जोन में, नहीं मिलेगी 3 मई तक कोई छूट

निगरानी

कोरोना के मद्देनजर तीन जोन में बांटे जिले

संवाददाता

देहरादून। सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश को तीन जोन (श्रेणियों) में बांट दिया है। ये जोन रेड (लाल), ऑरेंज (नारंगी) और ग्रीन (हरा) रखे गए हैं। रेड जोन में वे जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें 18 या इससे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ऑरेंज जोन में उन जिलों को रखा गया, जहां एक से 17 तक कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, जहां कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, उन जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। इन जोन के हिसाब से ही जिलों को 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में रियायत दी जाएगी।

दून जिले को रेड जोन में रखा गया है, इसलिए यहां तीन मई तक लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि 20 अप्रैल के बाद भी यहां लॉकडाउन की व्यवस्था पूर्ववत ही जारी रहेगी।

बुधवार को केंद्र सरकार की गाइडलाइन मिलने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने जिलों को तीन जोन में विभक्त कर दिया। अपर सचिव व निदेशक एनएचएम युगल किशोर पंत ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही जिलों को तीन जोन में बांटा गया है। जोन के मुताबिक ही 20 अप्रैल के बाद केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर लगातार 14 दिन तक किसी जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आता है तो उस जिले की श्रेणी स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगी। अगर दून जिले में लगातार 14 दिन कोई कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं सामने आया तो यह ऑरेंज जोन में चला जाएगा। इसके उलट अगर ग्रीन जोन के किसी जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आता है तो वह जिला ऑरेंज जोन में चला जाएगा। ऑरेंज जोन के जिले में कोरोना पाजिटिव मरीजों का आंकड़ा 18 तक पहुंचने पर वह जिला रेड जोन में शामिल हो जाएगा।

इस तरह जोन में बांटे गए जिले

रेड जोनः देहरादून, लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं।
ऑरेंज जोनः हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में आंशिक छूट।
ग्रीन जोनः बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी। इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सबसे अधिक छूट मिलेगी। यहां औद्योगिक गतिविधियों के साथ ही अन्य मामलों में भी छूट दी जा सकती है।

प्रदेश ने किया थोड़ा बदलाव

केंद्र ने जिलों को हॉटस्पॉट, नॉन हॉटस्पॉट और नॉन पॉजिटिव केस जिलों के हिसाब से श्रेणीबद्ध किया है। केंद्र ने इन्हें भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन की संज्ञा दी है। केंद्र ने अपनी गाइडलाइन में प्रदेश सरकार से बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि में इन जिलों को हॉटस्पॉट से नॉन हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट से नॉन पॉजिटिव जिलों में बदलने की अपेक्षा की है। केंद्र द्वारा जो सूची भेजी गई है उसमें देहरादून को हॉटस्पॉट जिले के रूप में रखा गया है। हरिद्वार, अल्मोड़ा और पौड़ी को नॉन हॉटस्पॉट जिलों में रखा गया है। हालांकि, प्रदेश ने इसमें ऊध मसिंह नगर और नैनीताल में आए मामलों के बाद इन्हें भी इस श्रेणी में शामिल किया है।

मेयर गामा व पुलिस कर्मचारियों को किया सम्मानित

सम्मान

- बेहतरीन कार्य करने के साथ ही व्यापक स्तर पर साफ सफाई करने के लिए सम्मानित
- सौ वार्डों में दोबारा सैनिटाइजर का छिडकाव किया जा रहा

देहरादून। **संवाददाता**

शिव मंदिर समिति श्रीदेव सुमन नगर के तत्वावधान में मेयर सुनील उनियाल गामा एवं बिंदाल पुलिस कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन कार्य करने के साथ ही व्यापक स्तर पर साफ सफाई करने के लिए सम्मानित किया गया।

यहां किशननगर चौक पर मेयर सुनील उनियाल गामा एवं बिन्दाल पुलिस कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन कार्य करने के साथ ही क्षेत्र में व्यापक स्तर पर साफ सफाई करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान शहर के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और लगातार संघर्ष करने के बाद भी कोरोना वायरस से जीत हासिल करेंगें और सभी सौ वार्डों में दोबारा सैनिटाइजर का छिडकाव किया जा रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि आज जिस प्रकार से देश व प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैल रहा है और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की तैयारियां है निश्चित तौर पर हम कोरोना से जंग जीत लेंगें और पूर्व में सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन बीच में जमातियों के यहां पर आने पर स्थिति कुछ विकट हुई है लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से नियंत्रित है और आने वाले समय में सब कुछ सामान्य हो जायेगा।

वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम असनोड़ा के निधन पर दुःख जताया

संवाददाता देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी मंच द्वारा वरिष्ठ राज्य आन्दोलनकारी एवं गैरसैंण निवासी वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम असनोड़ा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजिल अर्पित की। इस दुःखद सूचना से सभी राज्य आन्दोलनकारियों व पत्रकार साथियों को गहरा धक्का लगा। इस अवसर पर मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय पुरुषोत्तम ने राज्य आंदोलन के साथ ही रोजगार व जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर हमेशा प्रखर रहे इसके साथ–साथ अपनी कलम की धार से हमेशा आमजन की पीड़ा को सामने रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अभी एक सप्ताह पूर्व ही फेसबुक पर उनके द्वारा मुझे मित्रता हेतु पोस्ट किया था। अभी तो हम उनकी कुशलक्षेम की दुआएं कर रहे थे कि देर सायं यह दुःखद समाचार सुनने को मिला। क्या मालूम था कि हमें उनका आशीर्वाद हमारी किस्मत में नहीं था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।